



संख्या-8/2026/आई/1275284/002-1-64-2013-099-1-2025

प्रेषक,

उमेश यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 21-03-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग में ई-ऑफिस की व्यवस्था कराये जाने के लिए पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4825/रा0पि0व0आ0/2025, दिनांक 14 अगस्त, 2025 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र संख्या- RE-budget-1-590-E-4-275-X-2025-26-दिनांक: 20-03-2026, के अनुसार उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग में ई-ऑफिस की व्यवस्था कराये जाने हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि ₹0 42.00 लाख (रुपये बयालीस लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय उपरिसंदर्भित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिए गए निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लिखित संगत शर्तों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

(2) एतदर्थ आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा धनावंटन के समय राजकीय कोष से आहरित धनराशि का विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जनपदों से संकलित कर शासन को प्राप्त कराया जायेगा। इसका अनुपालन न किये जाने की दशा में इसे अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।

(3) मितव्ययिता संबंधी पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों एवं निर्देशों विशेषकर वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या-2163/दस-स0वि0(1)/91, दिनांक 10-12-1991 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए संगत मदों में धनराशि व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(4) स्वीकृत धनराशि में से जो भी धनराशि व्यय की जाये या जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय, उसमें संगत अनुदान संख्या तथा लेखाशीर्षक का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा।

(5) बजट मैनुअल में निहित निर्देशों के अनुपालन में मासिक व्यय विवरण शासन को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसकी प्रति वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 को भी भेजी जायेगी। अनुपालन न होने की दशा में इसे वित्तीय अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।

(6) आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं रखा जायेगा। नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत अनुदान के अधीन ही रखा जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(10) उक्त अनुदान पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे।

(11) जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्ति धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 42,00,000 (रुपये बयालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 079 लेखा शीर्षक 2225808000300** पिछड़े वर्गों के लिये विशेषज्ञ समिति/स्थायी आयोग का गठन **मानक मद 20** सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

उमेश यादव,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-8/2026/आई/1275284/002-1-64-2013-099-1-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. अध्यक्ष, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

5. वित्त एवं लेखाधिकारी, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ० प्र० शासन।
8. पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमेश यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।